विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-8 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
8 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियन्त्रण सिग्नल रेड होने पर चौराहे पर एकाएक दुधमुहे बच्चें को लेकर महिलायें एवं कम उम्र के बच्चों के द्वारा भीख माँगी जा रही है?	जी हॉ, जनपद लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर छोटे-छोटे बच्चों एवं महिलाओं द्वारा भिक्षावृत्ति करने सम्बन्धी कतिपय प्रकरण संज्ञान में आते हैं।
(ख) यदि हॉ, तो इनकी कुल संख्या कितनी है?	जनपद लखनऊ में विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अभी तक चिन्हित किये गये विभिन्न पाकेट्स यथा-फैजुल्लागंज में 74 परिवारों में लगभग 278 बच्चे, नगराम में 126 परिवार में लगभग 321 बच्चे पाये गये हैं, चिनहट में 29 परिवारों में लगभग 80 बच्चे, तकिया में 28 परिवारों में लगभग 90 बच्चे, डिगडिगा में 52 परिवारों में लगभग 132 बच्चे चिन्हांकित किये गये हैं।
(ग) क्या ऐसे निरीह एवं गरीब मैले-कुचैले बच्चों एवं महिलाओं को भीख न मॉगना पड़े सरकार द्वारा कोई नीति स्थापित की गई है?	महिला कल्याण विभाग द्वारा सड़क जैसी स्थिति में रहने वाले बच्चों (Children in Street Situation) के चिन्हांकन व पुनर्वासन तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारक विभागों के समन्वय हेतु आदर्श नीति (The Model Policy) प्रख्यापित किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार, पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को भरण-पोषण व शिक्षा हेतु प्रति बच्चा रू0-2500/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। जनपद लखनऊ में ऐसे 256 बच्चों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत स्पॉन्सरशिप योजना में बाल भिक्षुकों के सहायता एवं

	पुनर्वासन हेतु प्रतिमाह प्रति बच्चा रू0-4000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
(घ) यदि हाँ, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।
(ड.) क्या इस तरह के निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना बनाने पर विचार करेंगे?	महिला कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से ही उपरोक्त प्रकार के बच्चों एवं महिलाओं के पुनर्वासन हेतु आश्रय गृहों का संचालन किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं हेतु 09 महिला शरणालयों (जनपद लखनऊ में 01) का संचालन तथा अनाथ/ परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों हेतु 27 बाल गृहों (जनपद लखनऊ में 05) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आवासित बच्चों एवं महिलाओं हेतु निःशुल्क आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ-साथ सम्मानजनक जीवनयापन करने की समुचित व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा ऐसे बच्चों के पुनर्वासन हेतु उ0 प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) एवं स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री।